दिनांक 29.07.2024 ''स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई''

बासी खादय पदार्थ विनिष्टीकरण, बेचने वालो पर 3900 रूपये का चालान काटा

भिलाई नगर। सोमवार को फिर नगर निगम भिलााई के जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत जलजनित मौसमी बीमारी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया। जिसमें वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा दक्षिण, गंगोत्री क्षेत्र में साफ–सफाई को लेकर प्रतिष्ठानो में जाकर जॉच किये। होटल एवं आईस क्रीमपार्लर में निरीक्षण के दौरान खादय पदार्थ एवं साफ–सफाई सही नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की गई। जिसमें मित्तल बिरयानी, नोवेल्टी कुल्फी, आइसक्रीम पार्लर, रॉयल राजस्थानी रेस्टोरेंट, बुडहन खोवा जलेबी, सलोनी स्वीट्स में निरीक्षण के दौरान खादय पदार्थ बासी पाया गया। बासी व बदबूदार खादय पदार्थो को जप्ती बनाकर उसे जमीन में गाड़कर ब्लीचिंग डालकर विनिष्टिकरण किया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पाये जाने पर इन प्रतिष्ठानो से 3900 की चालानी कार्यवाही भी किया गया। कार्यवाही के दौरान उन्हे समझाईस भी दिया गया कि दोबारा बासी खादय पदार्थ बेचते हुए पाये जाने पर उनका गुमशता एवं ट्रेड लाईसेंस कैंसल कर दिया जायेगा। स्वच्छता का ध्यान रखें व सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय न करे अन्यथा जुर्माना की राशि दोबारा भी काटी जायेगी। नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने लोगो से अपील की है कि बरसात के दिनो में बाहर खाते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। फूड पाउजनिग, डायरिया, पीलिया आदि बीमारियां दुषित खादय पदार्थ खाने से हो सकती है, सावधान रहे। ताजा एवं शुद्ध खादय पदार्थ का ही सेवन करे। खाने से पहले हाथो को अच्छे से अवश्य धो लेवें। जहां खाने जाये उस जगह पर साफ–सफाई हो इसका पुरा ध्यान रखा जायें। जिससे मौसमी बीमारियो से अपने आप को बचाया जा सके। कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, लिपिक संतोष हरमुख, वार्ड सुपरवाईजर कर्मचारियो के साथ उपस्थित रहे।